[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 09/2024 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 12 अप्रैल,2024

सा.का.नि...(अ).- आयुक्त,केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)की अधिसूचना संख्या 83/2020-केंद्रीय कर,दिनांक 10 नवंबर 2020,जिसे सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,चौथे परंतुक के बाद,निम्न परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात्–

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं,जो उक्त उपधारा के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से भिन्न है,के लिए माह अप्रैल 2024 की कर अवधि के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को अप्रैल, 2024 माह के बारहवें दिन तक बढाया जाता है।"

2. यह अधिसूचना 11 मई, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.स. सीबीआईसी-20021/1/2024-जीएसटी]

(आर आनंदा)

निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 83/2020-केंद्रीय कर, तारीख 10 नवंबर, 2020,भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.699(अ), तारीख 10 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 41/2023-केंद्रीय कर, तारीख 25 अगस्त, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि.624(अ) तारीख 25 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।